



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44132 सन् 2025

गुरमेल सिंह

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

अली हसन, इस्तियाक अली

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री विजेंद्र कुमार को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 719/2025 में, मादक पदार्थ और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/18/21/29 के अंतर्गत, थाना- बारादरी, जिला- बरेली में जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से 211 ग्राम हेरोइन, 265 ग्राम अफीम, हाइड्रोक्लोराइड एसिड की एक बोतल आदि बरामद होने का आरोप है। आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है। आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी को स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं किया गया है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 43, 50, 52-ए और 57 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने में विफल रहा है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान अपराध में अनावश्यक उत्पीड़न करने और उसे पीड़ित बनाने के उद्देश्य से झूठा फंसाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है। सह-अभियुक्त अर्थात् प्रियंका दास को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 33682/2025 में दिनांक 06.10.2025 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक, जो 09.09.2025 से जेल में है, जिसके 3 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के पैरा संख्या 16 से 19 में स्पष्ट किया गया है, जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है, इसलिए आवेदक किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधि में शामिल होगा।
5. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जमानत नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है **राजस्थान राज्य बनाम बलचंद @ बलिया (1977) 4 एससीसी 308** के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने पाया कि जमानत से इनकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध है और पैरा 2 में मत व्यक्त किया "मूल नियम को शायद संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है कि जमानत है, जेल नहीं, सिवाय उन मामलों के जहां याचिकाकर्ता जो न्यायालय से जमानत पर रिहाई की मांग करता है, द्वारा न्याय से भागने या न्याय के मार्ग को विफल करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को धमकाने और इसी तरह की परेशानियां पैदा करने का संकेत देने वाली परिस्थितियां हों। हमारा इरादा समग्र होने का नहीं है बल्कि केवल उदाहरणात्मक है।" और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और **गुडिकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, एआईआर 1978 एससी 429** के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय का अनुपात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, इसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि पर मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियां, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुरक्षित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य का व्यापक हित और अन्य परिस्थितियां, लेकिन गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं यह मानता हूँ कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त मामला अपराध में शामिल अभियुक्त-आवेदक **गुरमेल सिंह को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय** की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-
- 1) आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - 2) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
 - 3) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कमीशन में शामिल नहीं होगा।
7. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, हैसियत और निवास प्रमाण की जांच की जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह